

30/11 वकील वारीगड उपोच्चिता/ विभाजक-5/2019

गत फेरी पर प्रप्त हो चुका है वकील वारीगड की मुना गला वकील वारीगड तहसीलदार रामनिधनर से प्रप्त कि 50 अनुसूच अन्विक (हरी) जारी करने हेतु

लिख

निर्देश किया है कि प्रकृत से फ़ाकारान प्रतिवादी के विरुद्ध एकपत्री कार्रवाई अतः में लाई जा चुकी है तथा वि.उ. पर गैर उत्तराज किसी प्रकार वाय कधी किया गया है इसी स्थिति में वा-एज वारीगड प्रत्येक (हरी) दिनांक 06/07/2022 तहसीलदार रामनिधनर से प्राप्त विभाजक-5 स्टाड इनांक/210 दिनांक 28/07/2022 के अनुसूच वारीगड की निम्नलिखित अनुसूच प्रतिवादीमंडल से खारा विभाजक वर खारा प्रेषित किया जाता है ->

1. जगताल सिंह 510 प्रदेन सिंह :- मु.ने. 3 सि.न.  
 $\frac{2}{0.034}, \frac{3-4-5}{0.114}, \frac{6-7-8}{0.758}, \frac{9}{0.094}, \frac{12}{0.094}, \frac{13-17}{0.508} = 1.82$  है
2. लखविन्द सिंह 510 अलक सिंह :- मु.नं. 32 सि.न.  
 $\frac{1}{0.084}, \frac{11}{0.168}, \frac{20-21}{0.508} = 0.758$  है
3. अलपना सिंह 510 दामक सिंह 0.236 है, कुलपत्र नोट 10 अलपना सिंह 0.261 है :-



उपखण्ड अधिकारी  
 रामनिधनगर  
 P.T.-0.

$\frac{1}{0.168} \times \frac{10}{0.083} \times \frac{11}{0.087} = 0.5068$   
 पु.नं. 72 कि.नं. 0.168 ' 0.083 ' 0.087 व.द.प.

शीप आतंशान / अतिवादीगड का  
 हिस्सानुसार रकबा अनुमा आता में रचना  
 अन्य आतंशान में हिस्सा में कोई परिवर्तन  
 नहीं किया जावे। भूमि की किस्त सिंपिल  
 कसिंपिल उहति - मुमकिन गैर मुमकिन में  
 परिवर्तन नहीं किया जावे। निरति कोपलका  
 की जावे यदि किसी अन्य आतंशान का व्यवहार  
 उजावी नहीं हो। इसी अनुमा एक-एखाता में र्ज किया जावे।  
 अनुमा पचा ठिड़ी जाणी है।  
 अधिपमा पाठीमक निभानुत्प ह्यमप उ.उ.वी  
 पेश करै। पमापली लेजले में शुमा धम  
 बाबिल ह्यता है।

उपखण्ड अधिकारी  
 रायसिंहनगर